CONTENTS

Sixteenth Series, Vol. XXIX, Fourteenth Session, 2018/1939 (Saka)
No. 7, Friday, February 9, 2018/Magha 20, 1939 (Saka)

<u>SUBJECT</u>	<u>PAGES</u>
ORAL ANSWER TO QUESTION	
Starred Question No. 101	6-10
MOITTEN ANGWEDS TO OUTSTIONS	
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos. 102 to 120	11-74
Unstarred Question Nos. 1151 to 1380	75-574

PAPERS LAID ON THE TABLE

575-578

COMMITTEE ON PUBLIC DEVELOPMENT

87th to 89th Reports

599

STANDING COMMITTE ON HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

300th and 301st Reports

599

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the 30th Report of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the 24th Report of the Committee 'Cluster on Development Programme for Pharma Sector (CDP-PS)', pertaining to the Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and **Fertilizers**

Shri Mansukh L. Mandaviya

600

ANNEXURE - I

Member-wise Index to Starred Questions	601
Member-wise Index to Unstarred Questions	602-607

<u>ANNEXURE – II</u>

Ministry-wise Index to Starred Questions	608
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	609

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi

Shri Hukmdeo Narayan Yadav

Shri Anandrao Adsul

Shri Pralhad Joshi

Dr. Ratna De (Nag)

Shri Ramen Deka

Shri Konakalla Narayana Rao

Shri K.H. Muniyappa

Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shrimati Snehlata Shrivastava

LOK SABHA DEBATES	

LOK SABHA

Friday, February 9, 2018/Magha 20, 1939 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER in the Chair]

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Question Hour. Question No. 101, Shri R. Gopalakrishnan ... (Interruptions)

(At this stage, Shri Thota Narasimham and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)

... (Interruptions)

11 02 hrs

11 01 hrs

(At this stage, Shri Avinash Reddy and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)

HON. SPEAKER: Not now, I have started the Question Hour.

... (Interruptions)

11 03 hrs

ORAL ANSWER TO QUESTION

HON. SPEAKER: Q. No.101, Shri R. Gopalakrishnan

(Q. 101)

SHRI R. GOPALAKRISHNAN: Madam Speaker, thank you. ... (Interruptions).

Our Party founder Puratchi Thalaivar MGR has announced Puratchi Thalaivi Amma as the Chairman of the great initiative, the Noon Meal Scheme in Tamil Nadu way back in 1984. Under the golden rule of Puratchi Thalaivar and Puratchi Thalaivi, Tamil Nadu has become the pioneering State for the ICDS programme.

There are about 55,000 *anganwadi* centres in Tamil Nadu. Providing adequate infrastructure facilities is very important. Provision of EB, gas stove facility and construction of baby friendly toilets are integral parts of construction of new building for 4731 centres....(*Interruptions*).

I would like to know from the hon. Minister whether the Central Government is providing any special funds for the construction of *anganwadi* centres with all essential facilities. If so, the details thereof....(*Interruptions*).

SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI: Over the last four years, we have provided thousands of new *anganwadi* centres. We have run into partnerships with NGOs that make special *anganwadi* centres. ...(Interruptions).

SHRI R. GOPALAKRISHNAN: I am happy to share with you all the fact that

the State Government of Tamil Nadu has taken a number of steps for providing

proper nutrition to women and children, like providing food containing jaggery,

wheat, millets, groundnut to ante-natal mothers; Amma baby care kit for new

born babies; and provision of weekly ferrous iron sucrose folic acid. Apart from

these, there is a provision for cash incentives to ante-natal mothers and

paediatric ambulance services. ...(Interruptions).

Now, I would like to know whether the Union Government will consider

encouraging States like Tamil Nadu which are providing more such schemes

for providing nutrition to children and women by granting special assistance. If

so, the details thereof and if not the reasons therefor....(Interruptions).

SHRIMATI MANEKA GANDHI: Madam, if I understand correctly, the hon.

Member has asked whether we have been providing new schemes to Tamil

Nadu. ... (Interruptions) If the hon. Member just sends me a request, I will be

happy to inform him exactly what we are providing. ... (Interruptions)

HON. SPEAKER: Please go back to your seats.

....(Interruptions)

HON. SPEAKER: Everyday it should not be done like this.

... (Interruptions)

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 12 o'clock.

<u>11 06 hrs</u>

The Lok Sabha then adjourned till Twelve of the Clock.

12 00 hrs

The Lok Sabha re-assembled at Twelve of the Clock.

(Hon. Speaker in the Chair)

PAPERS LAID ON THE TABLE

... (Interruptions)

12 0 ½ hrs

(At this stage, Shri Naramalli Sivaprasad, Shri Y.S. Avinash Reddy and some other hon. Members came and stood on the floor near the Table.)
... (Interruptions)

12 01 hrs

HON. SPEAKER: Now, Papers to be laid.

... (Interruptions)

THE MINISTER OF FINANCE AND MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI ARUN JAITLEY): Madam, I beg to lay on the Table a copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Finance for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 8745/16/18]

... (Interruptions)

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री रामविलास पासवान): अध्यक्ष महोदया, मैं वर्ष 2018-2019 के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[Placed in Library, See No. LT 8746/16/18]

... (Interruptions)

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE AND MINISTER OF ELECTRONICS
AND INFORMATION TECHNOLOGY (SHRI RAVI SHANKAR PRASAD):
Madam, I beg to lay on the Table a copy of the Detailed Demands for Grants
(Hindi and English versions) of the Ministry of Electronics and Information
Technology for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 8747/16/18]

... (Interruptions)

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): Madam, I beg to lay on the Table a copy of the Notification No. S.O. 07(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 2nd January, 2018, appointing the 7th day of July, 2018 as the date on which the Mental Healthcare Act, 2017 shall come into force issued under sub-section (1) of Section 124 of the said Act.

[Placed in Library, See No. LT 8748/16/18]

... (Interruptions)

THE MINISTER OF PETROLEUM AND NATURAL GAS AND MINISTER OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP (SHRI DHARMENDRA PRADHAN): Madam, I beg to lay on the Table a copy of the Motor Spirit and High Speed Diesel (Regulation of Supply, Distribution and Prevention of Malpractices) Amendment Order, 2017 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.728(E) in Gazette of India dated 29th June, 2017 under sub-section (6) of Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955.

[Placed in Library, See No. LT 8749/16/18]

... (Interruptions)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) (SHRIPAD YESSO NAIK): Madam, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Council for Research in Unani Medicine, New Delhi, for the year 2016-2017, along with Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by theGovernment of the working of the Central Council for Research inUnani Medicine, New Delhi, for the year 2016-2017.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 8750/16/18]

(3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Council for Research in Homoeopathy, New Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.

- (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by theGovernment of the working of the Central Council for Research inHomoeopathy, New Delhi, for the year 2016-2017.
- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above..

[Placed in Library, See No. LT 8751/16/18]

- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Central Council for Research in Ayurvedic Sciences, New Delhi, for the year 2016-2017.
 - (ii) A copy of the Annual Accounts (Hindi and English versions) of the Central Council for Research in Ayurvedic Sciences, New Delhi, for the year 2016-2017, together with Audit Report thereon.
 - (iii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by theGovernment of the working of the Central Council for Research inAyurvedic Sciences, New Delhi, for the year 2016-2017.
- (6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above..

[Placed in Library, See No. LT 8752/16/18]

... (Interruptions)

उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): अध्यक्ष महोदया, मैं वर्ष 2018-2019 के लिए उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।.

[Placed in Library, See No. LT 8753/16/18]

... (Interruptions)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF CULTURE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE (DR. MAHESH SHARMA): Madam, I beg to lay on the Table:-

- (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Animal Welfare Board of India, Chennai, for the year 2015-2016, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Animal Welfare Board of India, Chennai, for the year 2015-2016.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 8754/16/18]

- (3) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-
- (i) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for the year 2018-2019. <u>.</u>

[Placed in Library, See No. LT 8755/16/18]

(ii) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Culture for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 8756/16/18]

- (4) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Salim Ali Centre for Ornithology and Natural History, Coimbatore, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by theGovernment of the working of the Salim Ali Centre for Ornithologyand Natural History, Coimbatore, for the year 2016-2017.

.[Placed in Library, See No. LT 8757/16/18]

... (Interruptions)

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम कृपाल यादव): अध्यक्ष महोदया, श्री गिरिराज सिंह की ओर से, मैं वर्ष 2018-2019 के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।.

[Placed in Library, See No. LT 8758/16/18] ... (Interruptions)

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल) : अध्यक्ष महोदया, श्री मनोज सिन्हा की ओर से, मैं निम्नलिखित पत्रों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

- (एक) वर्ष 2018-2019 के लिए दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
 [Placed in Library, See No. LT 8759/16/18]
- (दो) वर्ष 2018-2019 के लिए डाक विभाग की अनुदानों की विस्तृत मांगें।
 [Placed in Library, See No. LT 8760/16/18]

... (Interruptions)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF POWER AND MINISTER
OF STATE OF THE MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY (SHRI
R.K. SINGH): Madam, I beg to lay on the Table a copy of the Detailed
Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Power for
the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 8761/16/18]

... (Interruptions)

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND ERTILIZERS (RAO INDERJIT SINGH): Madam, on behalf of Shri Hardeep Singh Puri, I beg to lay on the Table a copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Housing and Urban Affairs for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 8762/16/18]

... (Interruptions)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE AND MINISTER

OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING (SHRI PON

RADHAKRISHNAN): Madam, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under sub-section (1) of Section 394 of the Companies Act, 2013:-
 - (i) Review by the Government of the working of the Security Printing and Minting Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2016-2017.
 - (ii) Annual Report of the Security Printing and Minting Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 8763/16/18]

... (Interruptions)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF MINES AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COAL (SHRI HARIBHAI CHAUDHARY): Madam, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(1) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Coal for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 8764/16/18]

(2) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Mines for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 8765/16/18]

... (Interruptions)

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री परषोत्तम रूपाला): अध्यक्ष महोदया, मैं कीटनाशी अधिनियम, 1968 की धारा 36 की उपधारा (3) के अंतर्गत कीटनाशी (चौथा संशोधन) नियम, 2017 जो 28 दिसंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 1588(अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[Placed in Library, See No. LT 8766/16/18]

... (Interruptions)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णपाल गूर्जर): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:

- (1) (एक) अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज, मुम्बई के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) अली यावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज,मुम्बई के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8767/16/18]

- (3) (एक) रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[Placed in Library, See No. LT 8768/16/18]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ला): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 की धारा 27 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा वेब एग्रीगेटर्स) विनियम, 2017 जो 25 अप्रैल, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. आईआरडीए/रेग./4/141/2017 में प्रकाशित हुए थे।
- (दो) भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा सर्वेयर्स और लास एसेसर्स) (पहला सशोधन) विनियम, 2017 जो 17 मई, 2017 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एफ. सं. आईआरडीए/रेग./7/144/2017 में प्रकाशित हुए थे।

[Placed in Library, See No. LT- 8769/16/18]

- (2) केद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
 - (एक) सा.का.नि. 47(अ) जो 20 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय दिसंबर, 2017 के लिए जीएसटीआर-3बी प्ररूप भरने के लिए अंतिम तिथि को 22.01.2018 तक बढ़ाना है तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।
 - (दो) केंद्रीय माल और सेवा कर (संशोधन) नियम, 2018 जो 23 जनवरी, 2018 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 52(अ) के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।
 - (तीन) सा.नि.का. 53(अ) जो 23 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जीएसटीआर-1 प्ररूप भरने में देर होने की स्थिति में विंलंब शुल्क में कमी करना है तथा व्याख्यात्मक ज्ञापना

(चार) सा.का.नि. 54(अ) जो 23 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जीएसटीआर-5 प्ररूप भरने में देर होने की स्थिति में विंलंब शुल्क में कमी करना है तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) सा.का.नि. 55(अ) जो 23 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जीएसटीआर-5क प्ररूप भरने में देर होने की स्थिति में विंलंब शुल्क में कमी करना है तथा व्याख्यात्मक ज्ञापना

(छह) सा.का.नि. 56(अ) जो 23 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जीएसटीआर-6 प्ररूप भरने में देर होने की स्थिति में विंलंब शुल्क में कमी करना है तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) सा.का.नि. 57(अ) जो 23 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जीएसटीआर-6 प्ररूप में रिटर्न भरने के लिए तिथि को बढ़ाना है तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) सा.का.नि. 58(अ) जो 23 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय ईवे बिल वेबसाइट अधिसूचित करने के लिए 16 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 4/2017 -केंद्रीय कर में संशोधन करना है तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) सा.का.नि. 59(अ) जो 23 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय रिफंड को प्रक्रियाधीन करने और उसे प्रदान करने के लिए 13 अत्तूबर, 2017 की अधिसूचना सं. 391/2017 -केंद्रीय कर में संशोधन करना है तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) सा.का.नि. 1598(अ) जो 29 दिसंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1.5 करोड़ रूपए तक के सकल कारोबार वाले करदाताओं के लिए जीएसटीआर-1 प्ररूप तिमाही तौर पर प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि को बढ़ाना है तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन। (ग्यारह) सा.का.नि. 1599(अ) जो 29 दिसंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 1.5 करोड़ रूपए से अधिक के सकल कारोबार वाले करदाताओं के लिए जीएसटीआर-1 प्ररूप मासिक तौर पर प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि को बढ़ाना है तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) सा.का.नि. 1600(अ) जो 29 दिसंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय जीएसटीआर-4 प्ररूप में रिटर्न प्रस्तुत करने में विफल रहने पर संदेय विलंब शुल्क माफ करना है तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 1601(अ) जो 29 दिसंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय उस तिथि जिससे ईवे बिल नियम लागू होंगे, को अधिसूचित करना है तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) केंद्रीय माल और सेवा कर (14वां संशोधन) नियम, 2017 जो 29 दिसंबर, 2017 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1602(अ) के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पंद्रह) सा.का.नि. 02(अ) जो 1 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय 27 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 8/2017 -केंद्रीय कर में कतिपय संशोधन करना है तथा व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT-8770/16/18]

(3) संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 03(अ) जो 1 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा दिनांक 27 जून, 2017 की अधिसूचना सं. 2/2017- संघ राज्यक्षेत्र कर में कतिपय संशोधन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT-8771/16/18]

- (4) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-
- (एक) का.आ. 3895(अ) जो 15 दिसंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु.(एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दो) 19 दिसंबर, 2017 की अधिसूचना सं. 117/2017-सी.शु.(एन.टी) तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (तीन) 19 दिसंबर, 2017 की अधिसूचना सं. 118/2017-सी.शु.(एन.टी) तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (चार) का.आ. 4105(अ) जो 29 दिसंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु.(एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) 4 जनवरी, 2018 की अधिसूचना सं. 01/2018-सी.शु.(एन.टी) तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

- (छह) का.आ. 233(अ) जो 15 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 3 अगस्त, 2001 की अधिसूचना संख्या 36/2001-सी.शु.(एन.टी.) में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (सात) 18 जनवरी, 2018 की अधिसूचना सं. 06/2018-सी.शु.(एन.टी) तथा जो आयातित और निर्यातित माल के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन के लिए संशोधित विनिमय दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (आठ) सा.का.नि. 1579(अ) जो 22 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 29 जुलाई, 2011 की अधिसूचना संख्या 69/2011-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (नौ) सा.का.नि. 1580(अ) जो 22 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 31 दिसम्बर, 2009 की अधिसूचना संख्या 152/2009-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (दस) सा.का.नि. 1608(अ) जो 29 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 जून, 2011 की अधिसूचना संख्या 46/2011-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (ग्यारह) सा.का.िन. 1609(अ) जो 29 दिसम्बर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 जुलाई, 2011 की अधिसूचना संख्या 53/2011-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।
- (बारह) सा.का.नि. 14(अ) जो 5 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 27 अत्तूबर, 2017 की अधिसूचना संख्या 82/2017-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) सा.का.नि. 15(अ) जो 5 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 30 जून, 2017 की अधिसूचना संख्या 50/2017-सी.शु. में कतिपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) सा.का.नि. 22(अ) जो 12 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं को लागू करने के लिए 20 सीमा शुल्क अधिसूचनाओं में संशोधन किए गए हैं ताकि धामरा और धिग्गी पत्तनों को उन पत्तनों की सूची में शामिल किया जा सके जहां से ऐसी निर्यात संवर्धन योजनाओं के अतंर्गत आयात और निर्यात की अनुमित है और यह एक व्यापार सुकर उपाय है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[Placed in Library, See No. LT-8772/16/18]

(5) सा.का.नि. 1538(अ) जो 21 दिसंबर, 2017 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनका आशय सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9क की उपधारा (7) के अंतर्गत विनिर्दिऐट प्राधिकरण द्वारा सनसेट समीक्षा जांच प्रारंभ किए जान के मद्देनजर कोरिया जनवादी गणराज्य, चाईनीज ताईपे और इजरायल से उद्भूत अथवा वहां से निर्यातित फथालिक एनहाइड्राइड, के आयात पर लगाए गए निश्चयात्मक प्रतिपाटन शुल्क के उग्रहण को एक और वर्ष की अविध तक अर्थात 23 दिसंबर, 2018 (जब तक कि इससे पूर्व वापस न लिया जाए) जिसमें यह तारीख भी शामिल है, तक बढ़ाना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापना

[Placed in Library, See No. LT- 8773/16/18]

(6) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159, एवं केद्रीय उत्पाद शुल्क 1944 की धारा 38 के अंतर्गत अधिसूचना सं. सा.का.नि. 50(अ) जो 22 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 21 सितंबर, 2017 की अधिसूचना सं. 89/2017-सी.शु.(एन.टी.) में कितपय संशोधन किए गए हैं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT- 8774/16/18]

(7) अधिसूचना सं. सा.का.नि. 60(अ) जो 23 जनवरी, 2018 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 24 के अंतर्गत रिफंड प्रक्रियाधीन करने और प्रदान करने के लिए राज्य कर अधिकारियों का क्रास सशव्तीकरण के लिए 13 अत्तूबर, 2017 की अधिसूचना सं. 11/2017-एकीकृत कर में संशोधन करना है तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT- 8775/16/18]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री उपेन्द्र कुशवाहा): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:-

- (1) (एक) मिजोरम राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, आइजोल के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) मिजोरम राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, आइजोल के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT-8776/16/18]

- (3) (एक) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान, लखनऊ के वर्ष 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अभियान, लखनऊ के वर्ष 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT- 8777/16/18]

- (5) (एक) चंडीगढ़ सर्व शिक्षा अभियान सोसाइटी, चंडीगढ़ के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) चंडीगढ़ सर्व शिक्षा अभियान सोसाइटी, चंडीगढ़ के वर्ष 2016-2017के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 [Placed in Library, See No. LT- 8778/16/18]
- (6) (एक) गुजरात काउंसिल आफ एलीमेंट्री एजूकेशन, गांधीनगर के वर्ष 2014-2015 और 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) गुजरात काउंसिल आफ एलीमेंट्री एजूकेशन, गांधीनगर के वर्ष 2014-2015 और 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (7) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT- 8779/16/18]

- (8) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मणिपुर, इंफाल के वर्ष 2014-2015 और 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) राऐट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान मणिपुर, इंफाल के वर्ष 2014-2015 और 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(9) उपर्युक्त (8) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT- 8780/16/18]

- (10)(एक) सेंट्रल तिब्बतन स्कूल एडिमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 - (दो) सेंट्रल तिब्बतन स्कूल एडिमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
 - (तीन) सेंट्रल तिब्बतन स्कूल एडिमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (11) उपर्युक्त (10) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT- 8781/16/18]

- (12) (एक) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जम्मू और कश्मीर (नूर सोसाइटी), श्रीनगर के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।
 - (दो) राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान जम्मू और कश्मीर (नूर सोसाइटी), श्रीनगर के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (13) उपर्युक्त (12) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT-8782/16/18]

(14)(एक) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 और 2015-2016 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

- (दो) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 और 2015-2016 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
- (तीन) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2014-2015 और 2015-2016 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
- (15) उपर्युक्त (14) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT- 8783/16/18]

- (16)(एक) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 - (दो) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

 [Placed in Library, See No. LT- 8784/16/18]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI KIREN RIJIJU): I beg to lay on the Table a copy of the National Fire Service College, Nagpur, Professor, Associate Professor and Assistant Professor (Academic Group 'A' Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 2017 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R.41(E) in Gazette of India dated 18th January, 2018 under article 309 of the Constitution.

[Placed in Library, See No. LT 8785/16/18]

महिला और बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. वीरेन्द्र कुमार): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) वर्ष 2018-2019 के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8786/16/18]

- (2) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-
 - (एक) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।
 - (दो) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम, दिल्ली के वर्ष 2016-2017 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[Placed in Library, See No. LT 8787/16/18]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP (SHRI ANANTKUMAR HEGDE): I beg to lay on the Table a copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Skill Development and Entrepreneurship for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 8788/16/18]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति): अध्यक्ष महोदया, मैं वर्ष 2018-2019 के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की अनुदानों की विस्तृत माँगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूँ।

[Placed in Library, See No. LT 8789/16/18]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRIMATI ANUPRIYA PATEL): I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Population Research Centre (Gandhigram Institute of Rural Health and Family Welfare Trust), Dindigul, for the year 2016-2017, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) Statement regarding Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Population Research Centre (Gandhigram Institute of Rural Health and Family Welfare Trust), Dindigul, for the year 2016-2017.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 8790/16/18]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION (SHRI ARJUN RAM MEGHWAL): Madam, with your permission, on behalf of Shri C.R. Chaudhary, I beg to lay on the Table a copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Commerce and Industry for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 8791/16/18]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF LAW AND JUSTICE AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS (SHRI P.P. CHAUDHARY): I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-
 - (i) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Corporate Affairs for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 8792/16/18]

(ii)

(iii) Detailed Demands for Grants of the Ministry of Law and Justice for the year 2018-2019.

[Placed in Library, See No. LT 8793/16/18]

- (2) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Judicial Academy, India, Bhopal, for the year 2015-2016, along with Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Judicial Academy, India, Bhopal, for the year 2015-2016.
- (3) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (2) above.

[Placed in Library, See No. LT 8794/16/18]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० सत्यपाल सिंह): अध्यक्ष महोदया, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) केन्द्रीय झारखंड विश्वविद्यालय, रांची के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केंद्रीय झारखंड विश्वविद्यालय, रांची के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2)उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8795/16/18]

- (3) (एक) नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।
 - (दो) नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।
 - (तीन) नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ सिंधी लैंग्वेज, नई दिल्ली के वर्ष 2016-2017 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[Placed in Library, See No. LT 8796/16/18]

09.02.2018 35

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EARTH SCIENCES (SHRI Y.S. CHOWDARY): I beg to lay on the Table a copy of the Detailed Demands for Grants (Hindi and English versions) of the Ministry of Science and Technology for the year 2018-19.

[Placed in Library, See No. LT 8797/16/18]

12 03 hrs

COMMITTEE ON PUBLIC ACCOUNTS

87th to 89th Reports

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): I beg to present the following Reports (Hindi and English versions) of the Public Accounts Committee (2017-18):-

- (1) 87th Report on the subject 'Maintenance of Bridges in Indian Railways'.
- (2) 88th Report on the subject 'Excesses Over Voted Grants and Charged Appropriations (2015-16)'.
- (3) 89th Report on the subject 'Non-Compliance by Department of Posts'.

12 04 hrs

STANDING COMMITTE ON HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

300th and 301st Reports

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते (मंडला):अध्यक्ष महोदया, मैं मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं: —

- (1) नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2017 के बारे में 300वां प्रतिवेदन।
- (2) मानव संसाधन विकास मंत्रालय (स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग) की अनुदानोंकी मांगों (2017-2018) के बारे में 290वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट टिप्पणियों/सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई-कार्रवाई संबंधी 301वां प्रतिवेदन।

12 05 hrs

STATEMENT BY MINISTER

Status of implementation of the recommendations contained in the 30th Report of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the 24th Report of the Committee on 'Cluster Development Programme for Pharma Sector (CDP-PS)', pertaining to the Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers^{*}

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SHIPPING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI MANSUKH L. MANDAVIYA): I beg to make a statement regarding the status of implementation of the recommendations contained in the 30th Report of the Standing Committee on Chemicals and Fertilizers on Action Taken by the Government on the recommendations contained in the 24th Report of the Committee on 'Cluster Development Programme for Pharma Sector (CDP-PS)', pertaining to the Department of Pharmaceuticals, Ministry of Chemicals and Fertilizers.

... (Interruptions)

 $^{^{*}}$ Laid on the Table and also placed in Library, See No. LT 8798/16/18.

HON. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again on Monday, the 5th March, 2018 at 11:00 AM.

12 09 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, March 5, 2018/Phalguna 14, 1935 (Saka)